



32-ए-49/21/02/2014- रा.भा.

दिनांक 23.04.2024

## परिपत्र

**विषय:- दिनांक 15.02.2024 को माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम गोवा के निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों के संबंध में।**

जैसा कि विदित ही है कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम का दिनांक 15.02.2024 को निरीक्षण किया गया जिसके दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा द्वारा माननीय समिति को दिए गए आश्वासनों के आधार पर एतद्वारा सभी कर्मिकों को निम्नलिखित बिन्दुओं का कड़ा अनुपालन करने के स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं:-

1. हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मिक अपना शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में ही करें।
2. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र के केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ क्रमशः 55%, 55% तथा 55% मूल पत्राचार हिन्दी में किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, वर्तमान में कार्यालय द्वारा किए जा रहे हिन्दी मूल पत्राचार के प्रतिशत को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए।
3. सभी कर्मिक हिन्दी में किए जा रहे कार्य के प्रतिशत को बढ़ाएँ तथा कम्प्यूटरों पर समस्त कार्य हिन्दी में करना सुनिश्चित करें।

**यह क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) के आदेश से जारी किया जा रहा है।**

  
(ज्योति प्रकाश)

**उप निदेशक (राजभाषा (प्रभारी))**

सेवा में

1. उप निदेशक/ सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
2. सभी कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
3. सभी शाखाएँ/ कर्मिक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
4. सभी शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय- महापसा, फोंडा, वास्को, मडगांव, पणजी।
5. वैयक्तिक सहायक प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा को इस परिपत्र को सभी संबंधितों/ कर्मिकों को ईमेल करने हेतु प्रेषित।
6. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक, जनसम्पर्क शाखा को इसे क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश के साथ प्रेषित।
7. बीमा आयुक्त(राजभाषा)/ संयुक्त निदेशक(राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।